बिहार लोक सेवा आयोग

15, नेहरू पथ (बेली रोड), पटना – 800001

विज्ञापन सं.–08/2022 भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना के अन्तर्गत सहायक वास्तुविद् के कुल 106 (एक सौ छः) पदों पर नियुक्ति हेतु सुयोग्य उम्मीदवारों से विहित प्रपत्र में ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु विस्तृत दिशा निर्देश बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के वेबसाईट **www.bpsc.bih.nic.in** पर प्रदर्शित है।

(1) इन रिक्त पदों की कोटिवार विवरणी निम्नवत है :–

(क)

क्र.सं.	**कोटि**	**अनुमान्य पदों की कुल संख्या**	**35% क्षैतिज आरक्षण के फलस्वरूप महिलाओं के लिए अनुमान्य पदों की कुल संख्या**
1.	अनारक्षित वर्ग	42	15
2.	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	11	03
3.	अनुसूचित जाति	17	07
4.	अनुसूचित जनजाति	01	00
5.	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	19	08
6.	पिछड़ा वर्ग	13	05
7.	पिछड़े वर्गों की महिलाएँ	03	-
कुल		**106**	**38**

(ख)

2.	सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के पत्रांक– 2526, दिनांक–18.02.2016 के आलोक में राज्य के वैसे स्वतंत्रता सेनानियों जिन्हें केन्द्र द्वारा पेंशन स्वीकृत है, के पोता/पोती/नाती/नतीनी के लिए आरक्षित कुल पदों की संख्या	02

(ग)

3. दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम–2016 के आलोक में निःशक्तता से ग्रस्त उम्मीदवारों के लिए 04 (चार) प्रतिशत आरक्षित कुल पदों की संख्या		
(i)	दृष्टि बाधित (VI)	02
(ii)	मूक बधिर (DD)	01
(iii)	अस्थि दिव्यांग (OH)	01
(iv)	मनोविकार/बहुदिव्यांग	01

2. **वेतनमानः**– लेवल–9
3. **शैक्षणिक योग्यताः**– किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से वास्तुकला स्नातक की डिग्री (Bachelor in Architecture) एवं Council of Architecture, New Delhi से निबंधित होना अनिवार्य होगा।

नोटः–शैक्षणिक योग्यता से संबंधित सभी प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि–04.11.2022 तक का निर्गत होना चाहिए अन्यथा उम्मीदवार की उम्मीदवारी रदद् कर दी जायेगी।

4. **उम्र सीमा**– दिनांक 01.08.2022 को न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम अनारक्षित (पुरूष)–37 वर्ष, अनारक्षित महिला, पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग (पुरुष एवं महिला)– 40 वर्ष तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (पुरूष एवं महिला)– 42 वर्ष।

(i) कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार के पत्रांक– 212, दिनांक– 23.01.2006 के आलोक में वैसे उम्मीदवार जो दिनांक–01.08.1994 से 01.08.2022 तक उपर्युक्त वर्णित अधिकतम उम्र सीमा के आधार पर पात्रता रखते हैं, भी प्रस्तुत विज्ञापन के लिए सुपात्र होंगे, बशर्ते वे अन्य अर्हताएँ पूरी करते हों एवं नियुक्ति प्रक्रिया के दौरान सेवानिवृत्त होने वाले अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता पर विचार नहीं किया जायेगा।

(ii) कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार के संकल्प ज्ञापांक–2374, दिनांक–16.07.2007 के आलोक मे बिहार सरकार के ऐसे सरकारी सेवक (बिहार सरकार के नियमित रूप से नियुक्त सरकारी सेवक), जो तीन वर्षों की निरंतर सेवा पूर्ण कर चुके हों, को उच्चतर वेतनमान की सेवा/संवर्ग में जाने के लिए अधिकतम आयु सीमा में 05 (पाँच) वर्षों की छूट अनुमान्य है। **बिहार सरकार के सरकारी सेवक को आयु सीमा में छूट का दावा करने की स्थिति में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा, जिसमें यह स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए कि अभ्यर्थी बिहार सरकार में निरंतर तीन वर्ष की सेवा पूर्ण कर चूके हैं। सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के पत्रांक–524, दिनांक–13.01.2022 के आलोक में बिहार राज्य के सरकारी सेवकों के लिए राज्य सरकार की सेवा में आने के उपरान्त निर्धारित अधिकतम तीन अवसरों की सीमा लागू रहेगी।**

(iii) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के संकल्प ज्ञापांक–962, दिनांक–22.01.2021 के आलोक में अधिकतम आयु सीमा के अतिरिक्त दिव्यांगों को अधिकतम उम्र सीमा में 10 वर्षों की छूट अनुमान्य है। **दावा करने की स्थिति में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण–पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थी यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रमाण–पत्र आवेदन करने की अंतिम तिथि तक वैध हो। अन्यथा उन्हें दिव्यांगता/उम्र में छूट का लाभ नहीं मिलेगा।**

(iv) कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार के पत्रांक–2447, दिनांक– 06.03.1990 के आलोक में; भूतपूर्व सैनिकों को उम्र सीमा में 03 (तीन) वर्ष तथा प्रतिरक्षा सेवा में बितायी गयी सेवा अवधि के योग के समतुल्य रियायत दी जायेगी, बशर्ते कि उनकी वास्तविक उम्र आवेदन देने की तिथि को 53 वर्ष से अधिक नहीं हो।

भूतपूर्व सैनिकों को उम्र सीमा में छूट का दावा करने की स्थिति में तत्संबंधी प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा।

5. **चयन प्रक्रियाः–** लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के आधार पर।

लिखित परीक्षा की अवधि– 2 घंटे, पूर्णांक– 300 अंक, Type- Objective, Multiple Choice Questions पद्धति पर आधारित होगी, जिसमें 75 प्रश्न पूछे जायेंगे। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए निर्धारित अंक का 1/3 अंक काटा जायेगा। परीक्षा ओ॰एम॰आर॰ शीट (OMR) पर ली जायेगी।

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार के संकल्प ज्ञापांक संख्या– 2374, दिनांक–16.07.2007 एवं पत्रांक–6706, दिनांक–01.10.2008 के अनुसार लिखित परीक्षा में शामिल सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को 40%, पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 36.5%, अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 34% एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, महिलाओं तथा निःशक्त (दिव्यांग) उम्मीदवारों को 32% न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

➤ लिखित परीक्षा के उपरान्त 100 अंकों का विभाजन निम्न प्रकार होगाः–

क्र.सं.	अकादमिक रिकॉर्ड (अधिकतम–50 अंक)	साक्षात्कार निष्पादन (अधिकतम–25 अंक)	संविदा आधारित कार्य अनुभव की अधिमानता (अधिकतम–25 अंक)@5 अंक प्रतिवर्ष का कार्य अनुभव
1.	10th या मैट्रिकुलेशन अधिकतम–05 अंक		
2.	12th या इन्टरमीडियट अधिकतम–10 अंक		
3.	स्नातक अधिकतम– 25 अंक		
4.	स्नातकोत्तर अधिकतम–10 अंक		

नोटः(1)–अभ्यर्थियों के अकादमिक रिकार्ड अंकों का निर्धारण संबंधित परीक्षा के पूर्णांक के विरूद्ध उनके प्राप्तांक के आधार पर किया जायेगा। उदाहरणस्वरूप किसी अभ्यर्थी के स्नातक के पूर्णांक 900 के विरूद्ध प्राप्तांक 540 है तो उनके अंक की गणना 540/900X25=15 अंक होगी।

(2)–लिखित परीक्षा हेतु GATE-2022 Architecture and Planning का विस्तृत पाठ्यक्रम आयोग के वेबसाईट www.bpsc.bih.nic.in पर उपलब्ध है।

(3)–बिहार सरकार के विभिन्न कार्यालयों (विभाग/निगम/बोर्ड/प्राधिकार/परिषद्) में संविदा आधारित कार्यरत वास्तुविदों के लिए कार्यालय प्रधान द्वारा निर्गत अनुभव प्रमाण–पत्र मान्य होगा। इससे संबंधित विहित प्रपत्र विज्ञापन के साथ आयोग के वेबसाईट www.bpsc.bih.nic.in पर उपलब्ध है।

(4)–CGPA एवं ग्रेड में प्राप्तांक रहने की स्थिति में बोर्ड/विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नियमावली के CGPA एवं ग्रेड को प्रतिशत/अंकों में परिवर्तित किया जाएगा (अभ्यर्थी जिस वर्ष/सत्र (Session) में स्नातक एवं स्नातकोत्तर उत्तीर्ण हुए हों उस वर्ष/सत्र में बोर्ड/विश्वविद्यालय द्वारा लागू CGPA एवं ग्रेड को प्रतिशत/अंकों में परिवर्तित करने का फार्मूला संलग्न करना अनिवार्य होगा) अन्यथा बोर्ड/विश्वविद्यालय के नियमावली नहीं रहने की स्थिति में AICTE द्वारा CGPA एवं ग्रेड को प्रतिशत/अंकों में परिवर्तित करने का फार्मूला मान्य होगा, जो अभ्यर्थियों को स्वीकार्य होगा।

(5)–साक्षात्कार के लिए अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा एवं देय अधिमानता के अंक के आधार पर Short list किया जायेगा।

(6)–कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प ज्ञापांक–2374, दिनांक–16.07.2007 के आलोक में लिखित परीक्षा में प्राप्तांकों के आधार पर अन्तर्वीक्षा (साक्षात्कार) के लिए बुलाये जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या अधियाचित रिक्तियों के ढ़ाई गुणा होगी। कोटिवार समान कट–ऑफ अंक प्राप्त करने वाले सभी उम्मीदवारों का चयन अन्तर्वीक्षा के लिए किया जायेगा।

6. **आरक्षणः–**

(i) ऑनलाइन आवेदन पत्र में इंगित कॉलम में आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा।

(ii) जाति के आधार पर आरक्षण का लाभ उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगा, जिनका स्थायी निवास बिहार राज्य में है अर्थात् जो बिहार के मूलवासी हैं। बिहार राज्य के बाहर के निवासी अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा। **आवेदन में दिया गया स्थायी पता ही आरक्षण प्रयोजन के लिए स्थायी निवास अनुमान्य होगा।**

(iii)(A) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को निम्नांकित प्रमाण–पत्र जमा करना अनिवार्य होगा :–

(a) जाति प्रमाण–पत्र

(b)स्थायी निवास/मूल निवास (डोमिसाइल) प्रमाण–पत्र

(B) पिछड़ी जाति एवं अत्यन्त पिछड़ी जाति के उम्मीदवारों को क्रीमीलेयर रहित प्रमाण–पत्र जमा करना अनिवार्य होगा।

पिछड़ा वर्ग एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग की दशा में; अपने स्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अंचल स्तर पर अधिसूचित राजस्व अधिकारी द्वारा निर्गत क्रीमीलेयर रहित प्रमाण–पत्र (फॉर्म–x) एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की दशा में अपने स्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत स्थायी निवास प्रमाण पत्र/मूल निवास प्रमाण पत्र एवं जाति प्रमाण पत्र मान्य होगा।

आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं का जाति/स्थायी निवास/क्रीमीलेयर रहित प्रमाण–पत्र उनके पिता के नाम एवं पता से निर्गत होना चाहिए न कि उनके पति के नाम से। उपर्युक्त

आरक्षण संबंधी सभी प्रमाण–पत्र आयोग कार्यालय में सत्यापन के समय मूल रूप से प्रस्तुत नहीं करने पर आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।

(C) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार की अधिसूचना संख्या– 2622, दिनांक– 26.02.2019 के आलोक में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को इस विज्ञापन की कंडिका 1(क) (2) में वर्णित रिक्ति के अनुसार 10% आरक्षण देय होगा। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जानेवाला आय एवं परिसम्पत्ति प्रमाण पत्र उपर्युक्त अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची-I (प्रपत्र-I) में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत होना चाहिए।

(iv) आरक्षित कोटि के उम्मीदवार अपनी जाति के अनुरुप पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के पश्चात् ही आरक्षित कोटि का अंकन ऑनलाइन आवेदन के संबंधित कॉलम में करेंगे एवं ऑनलाइन आवेदन भरते समय उनके पास आरक्षण कोटि के अनुरूप सक्षम प्राधिकार से निर्गत प्रमाण–पत्र उपलब्ध होना अनिवार्य होगा। अन्यथा आरक्षण का दावा मान्य नहीं होगा।

आरक्षित कोटि निम्नवत् है :–

क्र.सं.	**आरक्षित कोटि**	**ऑनलाइन आवेदन में आरक्षित कोटि**	**कोटि कोड**
1.	अनुसूचित जाति (Schedule Caste)	SC	02
2.	अनुसूचित जनजाति (Schedule Tribe)	ST	03
3.	अति पिछड़ा वर्ग (Extremely Backward Class)	EBC	04
4.	पिछड़ा वर्ग (Backward Class)	BC	05
5.	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (Economically Weaker Section)	EWS	07

(v)(क)सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार की अधिसूचना संख्या–962, दिनांक– 22.01.2021 के आलोक में दिव्यांगो (Persons with Benchmark Disability)को इस विज्ञापन की कंडिका 1(ग) में वर्णित रिक्ति के अनुसार 4% क्षैतिज आरक्षण देय होगा। ऐसे आरक्षण का दावा करने की स्थिति में सक्षम प्राधिकार द्वारा विहित प्रपत्र में चिकित्सा पर्षद से निर्गत वैध दिव्यांगता प्रमाण–पत्र की प्रति संलग्न करना आवश्यक है, अन्यथा उनको दिव्यांगता के आधार पर आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।

अस्थायी दिव्यांगता प्रमाण पत्र में निर्धारित अवधि के बाद नवीकरण (Renewal) नहीं होने की स्थिति में प्रमाण पत्र विधि मान्य नहीं होगा।

बहुदिव्यांगता का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के पास दिव्यांगता अधिकार नियमावली, 2017 (The Rights of Persons with Disabilities Rules, 2017) में वर्णित विहित प्रपत्र फार्म VI (Form VI) में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत बहुदिव्यांगता प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करना आवश्यक है, अन्यथा बहुदिव्यांगता के आधार पर आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।

(ख) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक–10668, दिनांक–29.06.2022 के अनुसार बैंचमार्क दिव्यांग अभ्यर्थियों को श्रुतिलेखक एवं अन्य सुविधा का दावा करने के स्थिति में उपर्युक्त अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची–I में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र एवं अनुसूची–II में शपथ पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।

(vi) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के पत्रांक– 2342, दिनांक– 15.02.2016 के आलोक में महिलाओं को इस विज्ञापन की कंडिका 1(क) में वर्णित रिक्ति के अनुसार 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देय होगा।

(vii) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के पत्रांक– 2526, दिनांक– 18.02.2016 के आलोक में राज्य के वैसे स्वतंत्रता सेनानियों जिन्हें केन्द्र द्वारा पेंशन स्वीकृत है, के पोता/पोती/नाती/नतीनी को इस विज्ञापन की कंडिका–1(ख) में वर्णित रिक्ति के अनुसार 02% क्षैतिज आरक्षण देय होगा। ऐसे आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के पास आवेदन करते समय अपने गृह जिला के जिला पदाधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी के हस्ताक्षर से निर्गत सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के पत्रांक– 11687, दिनांक–30.08.2016 के साथ संलग्न विहित प्रपत्र में (भूतपूर्व स्वतंत्रता सेनानी के पोता/पोती/नाती/नतीनी होने का) प्रमाण–पत्र निश्चित रूप से उपलब्ध होना चाहिए (स्वतंत्रता सेनानी के उत्तराधिकारी होने का परिचय पत्र मान्य नहीं है)।

(viii) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार की अधिसूचना संख्या– 2622, दिनांक– 26.02.2019 के आलोक में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए इस विज्ञापन की कंडिका–1 (क) 2 में वर्णित रिक्ति के अनुसार 10% आरक्षण का लाभ लेने हेतु आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जानेवाला आय एवं परिसम्पत्ति प्रमाण पत्र उपर्युक्त अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची -I (प्रपत्र -I) में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत होना चाहिए अन्यथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को देय आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। यह प्रावधान राज्य में लागू अन्य किसी नियम के द्वारा विभिन्न आरक्षित कोटि के लिए विहित आरक्षण के अतिरिक्त होगी परंतु राज्य से बाहर के अभ्यर्थी इस नियम के अधीन आरक्षण का लाभ हेतु दावा नहीं करेंगे। आय एवं परिसम्पति संबंधी प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने की तिथि से एक वर्ष के लिए वैध माना जायेगा। **इस विज्ञापन हेतु वित्तीय वर्ष 2021–22 के आधार पर निर्गत EWS प्रमाण पत्र मान्य होंगे।**

(ix) सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापांक– 16144, दिनांक– 28.11.2012 में निहित प्रावधान के आलोक में नियुक्ति/प्रोन्नति/नामांकन की प्रक्रिया के बीच किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता है।

सभी वांछित प्रमाण पत्र लिखित परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि (संशोधन किये जाने की स्थिति में अंतिम निर्धारित तिथि) तक का होना आवश्यक है। आवेदन भरने की अंतिम तिथि के पश्चात् निर्गत प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।

नोटः–(1) ऑनलाइन आवेदन भरने के क्रम में अभ्यर्थियों से कतिपय सूचना सिर्फ डाटाबेस संधारित करने हेतु ली जाती है। अगर उक्त सूचना से संबंधित किसी प्रकार का छूट विज्ञापन में अंकित नहीं है, तो उसका दावा न तो मान्य होगा और न ही उसका लाभ देय होगा। विज्ञापन में वर्णित सूचनाएँ/शर्त/जानकारी/किसी प्रकार की छूट ही अंतिम रूप से मान्य होगा।

नोटः–(2) अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के समय सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत निम्नलिखित प्रमाण–पत्रों की मूल प्रतियाँ सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा–

1. मैट्रिक का प्रमाण–पत्र एवं अंक पत्र (जन्म तिथि के साक्ष्य एवं प्राप्तांक की गणना हेतु)
2. इन्टरमीडिएट प्रमाण–पत्र (प्राप्तांक की गणना हेतु)।
3. इन्टरमीडिएट अंक–पत्र (प्राप्तांक की गणना हेतु)।
4. स्नातक प्रमाण–पत्र (विज्ञापन की कंडिका–3 शैक्षणिक योग्यता के अनुरूप सक्षम प्राधिकार के द्वारा निर्गत प्रमाण–पत्र)।
5. स्नातक अंक–पत्र (विज्ञापन की कंडिका–3 शैक्षणिक योग्यता के अनुरूप सक्षम प्राधिकार के द्वारा निर्गत प्रमाण–पत्र)।
6. Council of Architecture, New Delhi से निबंधन संबंधी प्रमाण–पत्र (विज्ञापन की कंडिका–3 शैक्षणिक योग्यता के अनुरूप)।
7. स्नातकोत्तर प्रमाण–पत्र (दावा करने की स्थिति में)।
8. स्नातकोत्तर अंक–पत्र (दावा करने की स्थिति में)।
9. अभ्यर्थी जिस वर्ष/सत्र में स्नातक/B.Tech एवं स्नातकोत्तर/M.Tech उत्तीर्ण हुए हों उस वर्ष/सत्र का बोर्ड/विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नियमावली के CGPA एवं ग्रेड को प्रतिशत/अंकों में परिवर्तित करने का फार्मूला संलग्न करना अनिवार्य होगा।
10. बिहार सरकार के विभिन्न कार्यालयों (विभाग/निगम/बोर्ड/प्राधिकार/परिषद्) में संविदा आधारित कार्यरत वास्तुविदों के लिए कार्यालय प्रधान द्वारा निर्गत अनुभव प्रमाण–पत्र मान्य होगा (दावा करने की स्थिति में)।
11. पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र (महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र)। (दावा करने की स्थिति में)।
12. पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए क्रीमीलेयर रहित घोषणा पत्र (विगत 1 वर्ष से पूर्व का क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र होने पर)। (दावा करने की स्थिति में)।
13. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए जाति प्रमाण पत्र (महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत जाति प्रमाण पत्र)। (दावा करने की स्थिति में)।
14. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए स्थायी निवास प्रमाण पत्र (महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत निवास प्रमाण पत्र)। (दावा करने की स्थिति में)।
15. बिहार राज्य के स्थायी निवासी अनारक्षित वर्ग के महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत स्थायी निवास प्रमाण पत्र (शुल्क में रियायत/छूट का दावा करने के स्थिति में)।
16. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) का दावा करने वाले आवेदक, बिहार सरकार के अधिसूचना संख्या–2622, दिनांक–26.02.2019 के आलोक में विहित प्रपत्र में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत तत्संबंधी प्रमाण–पत्र (वित्तीय वर्ष 2021–2022 के आधार पर निर्गत EWS प्रमाण पत्र मान्य होंगे) (दावा करने की स्थिति में)।
17. दिव्यांगता से संबंधित विहित प्रपत्र में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत तत्संबंधी प्रमाण पत्र। (दावा करने की स्थिति में)।
18. सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक–10668, दिनांक–29.06.2022 के अनुसार बैंचमार्क दिव्यांग अभ्यर्थियों को श्रुतिलेखक एवं अन्य सुविधा का दावा करने के स्थिति में उपर्युक्त अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची–I में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र एवं अनुसूची–II में शपथ पत्र।
19. स्वतंत्रता सेनानी के पोता/पोती/नाती/नतिनी का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के लिए जिला पदाधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी के हस्ताक्षर से निर्गत प्रमाण–पत्र;
20. बिहार सरकार के सरकारी सेवक को आयु सीमा में छूट का दावा करने की स्थिति में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र, जिसमें यह स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए कि अभ्यर्थी बिहार सरकार में निरंतर तीन वर्ष की सेवा पूर्ण कर चूके हैं।
21. भूतपूर्व सैनिकों को उम्र सीमा में छूट का दावा करने की स्थिति में तत्संबंधी प्रमाण पत्र।

22.केन्द्र सरकार, बिहार सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार के अधीन किसी भी पद पर नियुक्त हो, तो सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र (No Objection Certificate)।

23.पहचान पत्र (फोटोयुक्त) ऑनलाइन आवेदन पत्र की कंडिका–02 (vi) के अनुरूप।

24.हाल का खिंचा हुआ 4 (चार) फोटो।

25.लिखित परीक्षा के लिए भरे एवं डाउनलोड किये गये आवेदन की प्रति।

उपर्युक्त प्रमाण–पत्र साक्षात्कार के समय मूल में सत्यापन हेतु प्रस्तुत नहीं करने पर उनकी उम्मीदवारी प्रभावित/रदद् होगी तथा आयोग का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।

7. <u>शुल्क</u>:–

(i) सामान्य अभ्यर्थियों के लिए– 750/–(सात सौ पचास) रूपये

(ii) केवल बिहार राज्य के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए– 200/– (दो सौ) रूपये

(iii) बिहार राज्य की स्थायी निवासी सभी (आरक्षित/अनारक्षित वर्ग) महिला उम्मीदवारों के लिए– 200/– (दो सौ) रूपये

(iv) दिव्यांग अभ्यर्थियों (40% या उससे अधिक) के लिए– 200/– (दो सौ) रूपये

(v) अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए– 750/– (सात सौ पचास) रूपये

अभ्यर्थी को उपर्युक्त परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त विभिन्न बैंकों द्वारा निर्धारित चार्ज भी देना होगा, जिसे ऑनलाइन भुगतान के क्रम में बैंक द्वारा स्वतः बैंक चार्ज के रूप में ले लिया जाएगा।

वैसे सभी कोटि के दिव्यांग अभ्यर्थी एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं बिहार राज्य के स्थायी निवासी सभी महिला उम्मीदवार कोटि से आने वाले अभ्यर्थी जो दिव्यांगता/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/बिहार राज्य के स्थायी निवासी सभी महिला उम्मीदवार कोटि के लाभ का दावा करते हैं और उनके द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांगता एवं महिला उम्मीदवार (बिहार राज्य के स्थायी निवासी) के अनुरूप परीक्षा शुल्क जमा किया जाता है और भविष्य में वैसे अभ्यर्थी द्वारा दिव्यांगता से संबंधित प्रमाण–पत्र, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित प्रमाण–पत्र एवं बिहार राज्य के स्थायी महिला निवासी होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है या उसपर किसी प्रकार का संदेह उत्पन्न होता है तो उन्हें रियायती परीक्षा शुल्क (Concessional Examination Fee) के आधार पर अनर्हित किया जा सकता है। दिव्यांग अभ्यर्थियों, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं बिहार राज्य की स्थायी महिला निवासी कोटि के अभ्यर्थियों को इस संदर्भ में सूचित किया जाता है कि वे स्वेच्छा से परीक्षा शुल्क सामान्य अभ्यर्थियों के अनुरूप जमा करते हैं तो इस बिन्दु पर उनकी अभ्यर्थिता सुरक्षित रहेगी। इस पर अभ्यर्थी स्वंय निर्णय ले सकते हैं।

8.<u>ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से संबंधित तिथि एवं अन्य निर्देश निम्नांकित हैं</u>:– (i)

1.	ऑनलाइन आवेदन प्रारम्भ करने की तिथि	दिनांक–20.10.2022
2.	ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि	दिनांक–04.11.2022

- **उम्मीदवारों को आवेदन पत्र एवं संबंधित कागजातों की हार्ड कॉपी आयोग कार्यालय में भेजने की आवश्यकता नहीं है।**
- **अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन में भरे गये शैक्षणिक योग्यता, अनुभव एवं अन्य योग्यता/आरक्षण संबंधी दावों को सत्य मानते हुए परीक्षा आयोजित करने की कार्रवाई की जायेगी। साक्षात्कार के समय जाँच में विहित प्रमाण–पत्र सही नहीं पाया जाता है और इस कारण यदि अभ्यर्थी को अयोग्य घोषित किया जाता है तो इसकी पूर्ण जिम्मेवारी अभ्यर्थी की ही होगी।**

(ii) ऑनलाइन आवेदन भरने से संबंधित आवश्यक (विस्तृत) निर्देश इस विज्ञापन के साथ संलग्न है।

अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन भरने के पूर्व उक्त दिशा निर्देशों का भली भाँति अध्ययन कर लेंगे तथा ऑनलाइन आवेदन भरने के क्रम में सभी सूचनाएँ सही–सही एवं सुस्पष्ट अंकित करेंगे।

(A) रजिस्ट्रेशन के बाद रजिस्ट्रेशन डाटा को Edit करने का Option रहेगा, जो Payment करने के पूर्व तक ही उपलब्ध होगा, इसमें रजिस्ट्रेशन के समय अभ्यर्थी द्वारा भरी गयी किसी भी प्रविष्टि (नाम, पिता/पति/माता, आरक्षण कोटि इत्यादि) को Edit करने का प्रावधान रहेगा।

(B) Payment करने एवं आवेदन के Final Submission किये जाने के बाद भी अभ्यर्थी स्वयं द्वारा की गयी प्रविष्टि को पुनः Edit कर सकते हैं, जिसके लिए विज्ञापन में आवेदन भरने की अन्तिम निर्धारित तिथि के बाद एक सप्ताह (दिनांक–11.11.2022 तक) का समय दिया जायेगा।

परन्तु वे निम्न प्रविष्टियों में परिवर्तन नहीं कर सकेंगे:–

(i) जिन प्रविष्टियों से **Fee** का निर्धारण प्रभावित होता है:–

(क) बिहार के मूलवासी **Female** अभ्यर्थी जिनके द्वारा रियायती परीक्षा शुल्क (Concessional Examination Fee) का दावा किया गया है, वे **Payment** करने के बाद बिहार के मूलवासी **Female** होने के दावा में परिवर्तन नहीं कर सकेंगे।

(ख) बिहार के मूलवासी SC/ST कोटि के अभ्यर्थी जिनके द्वारा रियायती परीक्षा शुल्क (Concessional Examination Fee) का दावा किया गया है, वे Payment करने के बाद बिहार के मूलवासी SC/ST कोटि के दावा में परिवर्तन नहीं कर सकेंगे।

(ग) 40% अथवा उससे अधिक प्रतिशत दिव्यांगता वाले Disabled Category के अभ्यर्थी जिनके द्वारा रियायती परीक्षा शुल्क (Concessional Examination Fee) का दावा किया गया है, वे Payment करने के बाद दिव्यांगता के प्रतिशत के दावा में परिवर्तन नहीं कर सकेंगे।

(ii) Payment करने के बाद अभ्यर्थी को नाम, पिता/ पति/माता के नाम में Edit करने का अवसर नहीं मिलेगा। उपर्युक्त वर्णित बिन्दुओं को छोड़कर शेष Fields में अभ्यर्थी वांछित परिवर्तन कर सकेंगे।

वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने गैर–रियायती परीक्षा शुल्क का भुगतान करते हुए आवेदन किया है, यदि वे बाद में Edit करके रियायती परीक्षा शुल्क वाली कोटियों में जाते हैं, तो उनके द्वारा Examination Fee के भुगतान की गयी अधिक राशि वापस नहीं होगी।

वैसे अभ्यर्थी, जिन्होंने रियायती परीक्षा शुल्क (Concessional Examination Fee) का लाभ लेते हुए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूरी कर ली है और वे Edit करके दूसरे गैर–रियायती परीक्षा शुल्क वाली कोटियों में आवेदन करना चाहते हैं, वे आवेदन करने की अंतिम तिथि के पूर्व आवेदक अपने रजिस्ट्रेशन को रद्द कर सकता है तथा उसी Mobile No./Email ID से दूसरा रजिस्ट्रेशन एवं नये सिरे से परीक्षा शुल्क का भुगतान करके आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण करेगें। ऐसी स्थिति में पूर्व में किया गया परीक्षा शुल्क का भुगतान वापस नहीं किया जायेगा।

ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु आवश्यक (विस्तृत) निर्देश का अक्षरशः अनुपालन नहीं करने पर एवं ऑनलाइन आवेदन भरने के क्रम में अभ्यर्थी द्वारा की गयी प्रविष्टि में किसी प्रकार की त्रुटि के लिए आयोग जिम्मेदार नहीं होगा। इस संबंध में किसी प्रकार के सुधार/परिवर्तन हेतु अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

ऑनलाइन आवेदन में भरे गये सूचनाओं का मूल प्रमाण–पत्र/अंक पत्र से मिलान करने के क्रम में किसी भी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर उम्मीदवारी रद्द कर दी जायेगी।

(iii) उक्त Edit करने की तिथि के बाद ऑनलाइन आवेदन के डाटा में किसी प्रकार के सुधार/परिवर्तन के अनुरोध पर विचार नहीं किया जायेगा, इसकी विस्तृत विवरणी निम्न प्रकार है:–

सुधार/परिवर्तन हेतु प्राप्त बिन्दु	आयोग का निर्णय
आवेदक का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, पति का नाम, जन्म तिथि, लिंग (Gender), आधार संख्या, जाति, आरक्षण कोटि, भूतपूर्व सैनिक, बिहार राज्य के सरकारी सेवक, स्वतंत्रता सेनानी, दिव्यांग, पत्राचार का पता, स्थायी पता, अन्य डाटा जैसे:– फोटो, हस्ताक्षर, शैक्षिक योग्यता, अनुभव इत्यादि में परिवर्तन/सुधार (Edit) के संबंध में।	(क) ऑनलाइन आवेदन के दौरान Edit की प्रक्रिया पूर्ण हो जाने के बाद प्राप्त किसी भी तरह के परिवर्तन एवं सुधार (Edit) के अभ्यावेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा। (ख) आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण होने तक आवेदक द्वारा भरे गये डाटा को अंतिम समझा जायेगा। (ग) उम्मीदवार द्वारा भरे गये डाटा और उनके द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र/कागजात में कोई भिन्नता आती है तो उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जायेगी।
मोबाईल/ई–मेल में परिवर्तन/सुधार (Edit) के संबंध में।	एक बार Registration हो जाने के बाद परिवर्तन/सुधार संभव नहीं है। अतः उक्त संबंध में परिवर्तन के अनुरोध पर विचार नहीं किया जायेगा।
एक से अधिक आवेदन करने या भरने के संबंध में।	Registration में गलत विवरण अंकित हो जाने की स्थिति में आवेदन करने की अंतिम तिथि के पूर्व आवेदक Registration को रद्द कर सकता है तथा उसी मोबाईल/ई–मेल से दूसरा Registration एवं नये सिरे से परीक्षा शुल्क का भुगतान करके आवेदन की प्रक्रिया को पूर्ण कर सकता है। वैसी स्थिति में पूर्व में किया गया परीक्षा शुल्क का भुगतान वापस नहीं किया जायेगा। आवेदन की प्रक्रिया समाप्त होने के बाद अगर किसी अभ्यर्थी के दो या दो से अधिक आवेदन प्राप्त होते हैं, ऐसी स्थिति में उनके सभी आवेदन पत्रों को अस्वीकृत करते हुए उनका अभ्यर्थित्व रद्द कर दिया जायेगा।
एक से अधिक आवेदन प्राप्त होने की स्थिति में।	किसी अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक आवेदन पत्र भरे जाने की स्थिति में उनके सभी आवेदन पत्रों को अस्वीकृत करते हुए उनका अभ्यर्थित्व रद्द कर दिया जायेगा।

(iv) उम्मीदवार का नाम, जन्म तिथि, कोटि, परीक्षा शुल्क इत्यादि से संतुष्ट होने के उपरान्त ही ऑनलाइन परीक्षा शुल्क जमा करेंगे।

(v) ऑनलाइन आवेदन में अंकित E-mail Id, Mobile Number तथा प्राप्त User Name एवं Password को सुरक्षित रखना आवेदक की जिम्मेवारी होगी। इसे वे अंतिम परीक्षाफल प्रकाशन तक सुरक्षित रखेंगे। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन भरने के क्रम में अपने ही कार्यरत मोबाईल नम्बर एवं ई–मेल आई॰डी॰ अंकित करेंगे। किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य व्यक्ति का मोबाईल नम्बर एवं ई–मेल आई॰डी॰ अंकित नहीं करेंगे।

(vi) मात्र रजिस्ट्रेशन एवं परीक्षा शुल्क का भुगतान करने से यह नहीं माना जाएगा की अभ्यर्थी द्वारा पूर्ण रूप से ऑनलाइन आवेदन भर लिया गया है।

(vii) इन्टरनेट या बैंकिग व्यवधान के लिए आयोग उत्तरदायी नहीं होगा। अतः अभ्यर्थी अंतिम तिथियों का इंतजार नहीं करेंगे एवं उसके पूर्व ही सभी प्रक्रिया पूरी कर लेंगे।

(viii) उम्मीदवार हाल का खिंचा हुआ अपना एक फोटोग्राफ तथा हिन्दी एवं अंग्रेजी में हस्ताक्षर स्कैन कर ऑनलाइन आवेदन में निर्धारित स्थान में अपलोड करेंगे। **उम्मीदवार संतुष्ट हो लेंगे कि अपलोड किया गया फोटोग्राफ तथा हिन्दी एवं अंग्रेजी हस्ताक्षर का इमेज सुस्पष्ट है।**

(ix) **सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक–10668, दिनांक–29.06.2022 के अनुसार बैंचमार्क दिव्यांग अभ्यर्थियों को श्रुतिलेखक का दावा करने के स्थिति में ऑनलाइन आवेदन की कंडिका–3 (i) में अंकित श्रुतिलेखक की आवश्यकता है या नहीं (Yes/No) को Select करने के पश्चात् ही श्रुतिलेखक (Scribe) उपलब्ध कराया जायेगा।**

(x) **इस प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने वाले इच्छुक अभ्यर्थियों को यह भी निर्देश दिया जाता है कि आवेदन करते समय जो फोटोग्राफ उनके द्वारा आवेदन पत्र पर अपलोड किया जा रहा है, उसकी कम से कम पाँच अतिरिक्त प्रतियाँ वे अपने पास सुरक्षित रखेंगे, ताकि आवश्यकता पड़ने पर या आयोग द्वारा मांगे जाने पर उसे उनके द्वारा जमा किया जा सके।**

(xi) **ऑनलाइन भुगतान में किसी प्रकार का इन्टरनेट व्यवधान/गलत भुगतान/असफल भुगतान** (Unsuccessful Payment/Transaction Status Failure/Transaction Status Pending) **के लिए आयोग उत्तरदायी नहीं होगा तथा अभ्यर्थी को सुधार हेतु अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा।**

(xii) आवेदक यह भी सुनिश्चित कर लें कि डाउनलोड किये गये आवेदन की हार्ड कॉपी के प्रत्येक पृष्ठ पर **Registration Number, Bar Code** एवं **Submitted Application Number** अंकित है। हार्ड कॉपी पर Registration Number, Bar Code एवं Submitted Application Number में से किसी एक के अंकित नहीं होने पर भी आवेदन पूर्ण रूप से भरा नहीं माना जाएगा एवं आवेदन स्वीकार्य नहीं होगा।

(xiii) **इसके अतिरिक्त विज्ञापन से संबंधित वर्णित सभी प्रमाण पत्र अंतिम रूप से भरे गये <u>ऑनलाइन आवेदन को डैश बोर्ड से डाउनलोड कर हार्ड कॉपी अवश्य सुरक्षित रखेंगे।</u> आयोग द्वारा किसी भी समय मांगे जाने पर उम्मीदवार को उक्त हार्ड कॉपी एवं सभी संबंधित मूल प्रमाण–पत्र निश्चित रुप से प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। उक्त निर्देश का अनुपालन नहीं करने वाले अभ्यर्थियों की अर्हता के संबंध में निर्णय लेने हेतु आयोग स्वतंत्र रहेगा।**

(xiv) **आवेदक यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी वांछित प्रमाण–पत्र मूल रूप में उनके पास ऑनलाइन आवेदन भरते समय उपलब्ध हैं।**

9. <u>महत्वपूर्ण निर्देश</u> :–

(i) **अंतिम रूप से भरे गये ऑनलाइन आवेदन को सबमिट करने के बाद अभ्यर्थी उसी समय पुनः Login कर डैशबोर्ड पर उपलब्ध "Download Filled Application Section" से भरा हुआ आवेदन डाउनलोड कर उसकी दो प्रति निश्चित रूप से प्रिंट करेंगे। विज्ञापन से संबंधित वर्णित सभी प्रमाण पत्र/कागजात की प्रति अवश्य सुरक्षित रखेंगे। आयोग द्वारा साक्षात्कार के समय या आवश्यकता अनुसार मांगे जाने पर उम्मीदवार को उक्त हार्ड कॉपी एवं सभी संबंधित प्रमाण–पत्र निश्चित रूप से प्रस्तुत करना होगा।**

(ii) ऑनलाइन आवेदन भरने के क्रम में संलग्न प्रमाण–पत्रों की सूची में अंकित प्रत्येक प्रमाण–पत्रों के सामने अभ्यर्थी प्रमाण–पत्र निर्गत की तिथि एवं संख्या अंकित करेंगे।

10. **आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन भरने मात्र से ही उनकी अभ्यर्थिता सुनिश्चित नहीं मानी जायेगी। अभ्यर्थियों की अर्हता के संबंध में अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत कागजातों के आधार पर आयोग अंतिम निर्णय लेगा।**

11. **योग्यता संबंधी प्रमाण–पत्र वही मान्य होंगे, जिनका उल्लेख उम्मीदवार ने अपने मूल आवेदन–पत्र में किया है।**

12. **इस विज्ञापन से संबंधित सभी सूचनाएँ आयोग के वेबसाईट** <u>www.bpsc.bih.nic.in</u> **पर प्रकाशित की जाएगी, समाचार पत्रों में अलग से प्रकाशन अपेक्षित नहीं होगा।**

13. **उपर्युक्त विज्ञापन से संबंधित ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु विस्तृत निर्देश आयोग के वेबसाईट** <u>www.bpsc.bih.nic.in</u> **पर उपलब्ध है। इस विज्ञापन के लिए निर्धारित ऑनलाइन आवेदन से अलग, मुद्रित, टंकित, हस्तलिखित आवेदन स्वीकार्य नहीं किये जायेंगे, साथ ही अपूर्ण, अस्पष्ट, अहस्ताक्षरित तथा विलम्ब से प्राप्त आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिये जायेंगे तथा परीक्षा शुल्क भुगतान किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जायेगा।**

14. **आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन में सभी प्रविष्टियाँ सावधानी से भरी जाए। भविष्य में किसी प्रकार का परिवर्तन/सुधार मान्य नहीं होगा। किसी भी प्रकार की त्रुटि हेतु आयोग उत्तरदायी नहीं होगा एवं कोई भी प्रतिकूल परिणाम हेतु आवेदक स्वयं जिम्मेवार होंगे।**

19.10.22

परीक्षा नियंत्रक,
बिहार लोक सेवा आयोग, पटना।